[2022] 2 एस. सी. आर 295

मध्य प्रदेश राज्य बनाम.

जोगेंद्र और ए. एन. आर.

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 190) 11 जनवरी, 2022

[एन**.** वी**.** रमना**,** सीजेआई**,** ए**.** एस**.** बोपन्ना और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:s.304-B, 498-A-दहेज मृत्यु-अभियोजन मामला वह था जो प्रत्यर्थियों (पति और ससुर) द्वारा उस पर की गई लगातार दहेज की मांगों से तंग आ चुका था, जिसे उसका परिवार पूरा नहीं कर सका, पीड़ित-मृतक ने अपनी शादी के सात साल के भीतर अपने वैवाहिक घर में आत्मदाह करके आत्महत्या कर ली-एस. एस. के तहत अपराध के लिए प्रत्यर्थियों को दोषी ठहराया गया।304 बी, 498 ए और 303-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:एस के आह्वान के लिए सभी चार पूर्व-आवश्यकताएँ।304-बी संतुष्ट थे, अर्थात्, कि पीड़ित-मृतक की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर उसके वैवाहिक घर में हुई थी; कि उक्त मृत्यु जलने के कारण असामान्य परिस्थितियों में हुई थी और वह भी जब वह पांच महीने की गर्भवती थी; कि उसे उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उत्तरदाताओं द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था और ऐसी क्रूरता/उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में था-अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, P.W.-1 (मृतक के चाचा) की गवाही, निचली अदालत का विश्लेषण सही था और उत्तरदाता एस. एस. के तहत दोषी ठहराए जाने के योग्य थे।304-बी और 498-ए-हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष जिन्होंने एस के तहत आत्महत्या करने के लिए उकसाने के अपराध के लिए प्रतिवादियों को बरी कर दिया है।306 परेशान नहीं किया जाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष संतोषजनक रूप से प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई निर्णायक सबूत नहीं ला सका कि यह उत्तरदाताओं की ओर से उकसाने के कारण था कि मृतक ने आत्मदाह करके आत्महत्या कर ली थी।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961:धारा 2-दहेज-'दहेज' शब्द किसी भी प्रकार की संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को अपने दायरे में लेता है-घर के निर्माण के लिए धन की मांग-तत्काल मामले में, निचली अदालत ने धन की मांग की सही व्याख्या की।

295

296 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थियों द्वारा घर के निर्माण के लिए मृतक पर "दहेज" शब्द की परिभाषा के भीतर आने के रूप में उठाया गया-प्रत्यर्थियों के लिए यह निवेदन कि मृतक भी ऐसी मांग में एक पक्ष था, क्योंकि उसने खुद अपनी मां और मामा से घर के निर्माण में योगदान करने के लिए कहा था, इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए-यह ध्यान नहीं दिया जा सकता है कि उत्तरदाता लगातार मृतक को प्रताड़ित कर रहे थे और उसे घर बनाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के लिए कह रहे थे और यह केवल उनकी दृढ़ता और आग्रह पर था कि वह उन्हें घर बनाने के लिए कुछ राशि का योगदान करने के लिए कहने के लिए मजबूर थी-उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि में पड़ गया कि चूंकि मृतक खुद अपने पति और ससुर के साथ शामिल हो गया था, और उससे कहा।304-बी, 498-ए।

ग

डी.

दंड संहिता, 1860:एसएस।304-बी, 498-ए-दहेज मृत्यु-विधानमंडल के इरादे को विफल करने वाले कानून के प्रावधान की व्याख्या को एक ऐसी व्याख्या के पक्ष में छोड़ दिया जाना चाहिए जो दहेज की मांग जैसी सामाजिक बुराई को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से कानून के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को बढ़ावा देगी-इस संदर्भ में "दहेज" शब्द को एक विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि एक महिला पर की गई किसी भी मांग को शामिल किया जा सके, चाहे वह संपत्ति के संबंध में हो या किसी भी प्रकृति की मूल्यवान सुरक्षा के संबंध में-एस के तहत मामलों से निपटने के दौरान।304-बी आई. पी. सी., समाज में एक निवारक के रूप में कार्य करने और दहेज की मांगों के जघन्य अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रावधान, अदालतों के दृष्टिकोण में बदलाव सख्त से उदार, संकुचित से व्यापक होना चाहिए-कोई भी कठोर अर्थ प्रावधान के वास्तविक उद्देश्य को

शून्य में लाता है-इसलिए, इस बुराई को खत्म करने के कार्य को पूरा करने के लिए सही दिशा में एक धक्का देने की आवश्यकता है जो हमारे समाज में गहराई से स्थापित हो गई है-कानूनों की व्याख्या-दहेज निषेध अधिनियम, 1961 -एस. 2.

ई.

च

जी.

एच.

297

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र और ए. एन. आर.

क.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** यह स्पष्ट है कि अपनी व्यापक प्रतिपरीक्षा के दौरान, **P.W.-1** अपने बयानों पर दृढ़ता से अड़ा रहा कि उसकी भतीजी का उत्पीड़न उसकी शादी के छह महीने के भीतर प्रतिवादी संख्या **1** के साथ शुरू हो गया था, जिसने उसे अपनी माँ से **20,000/-** की राशि और घर के निर्माण के लिए **P.W.-1** लेने के लिए कहा था।उक्त मांग प्रत्यर्थी संख्या **1** द्वारा सीधे **P.W.-1** पर भी की गई थी।**P.W.-1** ने कहा कि मृतक ने उसे यह भी सूचित किया था कि उसके ससुर, प्रतिवादी संख्या **2** ने उस पर एक घर के निर्माण के लिए **50,000/-** की मांग की थी, जिसे उसे बताने के लिए कहा गया था।उक्त गवाह अपने बयान में एकमत था कि वह अपनी मृत भतीजी और उसके पति को खर्च के लिए पैसे देता था और दोनों ने एक घर के निर्माण के लिए **50,000/-** की राशि की मांग की थी, जिसे उसने देने से इनकार कर दिया था।मृतक के दोनों मामा, **P.W.-2** और **P.W.-4,** का वर्णन **P.W.-1** के रूप में करने के लिए एक ही संस्करण था।**[**पैरा **8] [305-**जी**-**एच**; 306-**ए**-**बी**]**

₹

ग

डी.

2. आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **304-**बी के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए सबसे बुनियादी घटक यह है कि महिला की मृत्यु दहेज मृत्यु होनी चाहिए।धारा **304-**बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए चार पूर्व-आवश्यकताएं इस प्रकार हैंः**((i)** यह कि किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई होगी या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई होगी**; (ii)** ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात साल की अवधि के भीतर हुई होगी**; (iii)** महिला को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले अपने पति के हाथों क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए**;** और **(iv)** ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की किसी भी मांग के लिए या उससे संबंधित होना चाहिए।**[**पैरा **9] [307-D-G]**

ई.

च

3. दहेज निषेध अधिनियम की धारा **2** "दहेज" शब्द को परिभाषित करती है और इसके दायरे में किसी भी प्रकार की संपत्ति या मूल्यवान वस्तु को शामिल करती है।

सुरक्षा।लैटिन उक्ति "यू**.** टी**.** रेस मेजिस वालेट क्वाम पेरेत"

जी.

अर्थात्, लिखित उपकरणों पर एक उदार निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि यदि संभव हो तो उन्हें बनाए रखा जा सके और पक्षों के इरादे को लागू किया जा सके।विधायिका के इरादे को विफल करने वाले कानून के प्रावधान की व्याख्या को एक ऐसी व्याख्या के पक्ष में छोड़ दिया जाना चाहिए जो मांगे गए उद्देश्य को बढ़ावा देगी।

एच.

298 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

क.

दहेज की मांग जैसी सामाजिक बुराई को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से कानून के माध्यम से प्राप्त किया जाना।इस संदर्भ में "दहेज" शब्द को एक विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि एक महिला पर की गई किसी भी मांग को शामिल किया जा सके, चाहे वह संपत्ति के संबंध में हो या किसी भी प्रकृति की मूल्यवान प्रतिभूति के संबंध में।आई. पी. सी. की धारा **304-**बी के तहत मामलों से निपटने के दौरान, समाज में एक निवारक के रूप में कार्य करने और दहेज की मांगों के जघन्य अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रावधान बनाया गया है, अदालतों के दृष्टिकोण में बदलाव सख्त से उदार, संकुचित से व्यापक होना चाहिए।कोई भी कठोर अर्थ प्रावधान के वास्तविक उद्देश्य को निष्फल कर देगा।इसलिए, हमारे समाज में गहराई से स्थापित इस बुराई को खत्म करने के कार्य को पूरा करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।**[**पारस **12,13] [308-**डी**; 309-**ई**-**जी**]**

ग

4. यह नहीं देखा जा सकता है कि प्रतिवादी लगातार मृतक को परेशान कर रहे थे और उसे घर बनाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से पैसे के लिए संपर्क करने के लिए कह रहे थे और यह केवल उनकी दृढ़ता और आग्रह पर था कि वह उनसे घर बनाने के लिए कुछ राशि का योगदान करने के लिए कहने के लिए मजबूर थी।न्यायालय को उस सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जिससे पक्षकार आते हैं।यह तथ्य कि मृतक और प्रतिवादी नंबर **1** की शादी एक सामुदायिक विवाह संगठन में आयोजित की गई थी, जहां कुछ जोड़े शादी के बंधन में बंधे होंगे, यह दर्शाता है कि पार्टियों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी।यह स्थिति **P.W.-1** के बयान से भी सामने आती है, जिसने कहा था कि वह दंपति का खर्च वहन करता था।मृतक की शादी से पहले भी, **P.W.-1** ने कहा था कि वह उसका और उसकी माँ और भाई **[**उसकी बहन और भतीजे**]** का खर्च वहन करता था क्योंकि उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था।इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि चूंकि मृतक स्वयं अपने पति और ससुर, उत्तरदाताओं के साथ शामिल हो गई थी और अपनी माँ या चाचा से घर बनाने के लिए धन का योगदान करने के लिए कहा था, इसलिए ऐसी मांग को "दहेज की मांग" के रूप में नहीं माना जा सकता है।इसके विपरीत, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक पर उसकी माँ और चाचा से पैसे के लिए ऐसा अनुरोध करने का दबाव डाला गया था।यह मिलीभुगत का मामला नहीं था, बल्कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मृतक द्वारा सामना की गई सरासर असहायता का मामला था।**[**पैरा **14] [310-**बी**-**एफ**]** ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

299

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र और ए. एन. आर.

5. अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक का पैसे के लिए उत्पीड़न उसकी शादी के कुछ महीनों के भीतर शुरू हो गया था और उसके बाद कई मौकों पर जारी रहा था।उस पर किए गए पैसे की बार-बार की गई मांगों से लगातार

परेशान होने पर, जिसे उसका परिवार पूरा नहीं कर सका, असहाय मृतक, जो अपनी गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में थी, ने अपने वैवाहिक घर में खुद को आग लगा ली।**[**पैरा **18] [314-**सी-डी**]**

6. उपरोक्त स्पष्ट परिस्थितियों को जब एक साथ देखा जाए, तो शायद ही उत्तरदाताओं के अपराध को कम किया जा सकता है या मामले को आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **304-**बी के दायरे से बाहर निकाला जा सकता है, जब उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए सभी चार पूर्व**-**आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।यद्यपि उच्च न्यायालय ने मृतक के मामा की गवाही को विश्वसनीय और सुसंगत पाया और अभियोजन पक्ष के संस्करण को ध्वस्त करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया जा सका, आश्चर्यजनक रूप से, आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **304-**बी के तहत उनकी दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया है और इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या **2** को आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **498-**ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, विशेष रूप से, आई**.** डी**. 1** की गवाही को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत का विश्लेषण सही था और प्रतिवादी आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **304-**बी और **498-**ए के तहत दोषी ठहराए जाने के योग्य थे। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष, जिसमें आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **376** के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया है, परेशान नहीं हैं क्योंकि अभियोजन पक्ष संतोषजनक रूप से यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई निर्णायक सबूत नहीं ला सका कि यह प्रतिवादियों की ओर से उकसाने के कारण था कि मृतक ने आत्मदाह करके आत्महत्या की थी।तदनुसार, आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **304-**बी और धारा **498-**ए के तहत दोनों प्रतिवादियों के संबंध में निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को बहाल किया जाता है।हालाँकि, आर**.** आई**.** की निचली अदालत द्वारा उन पर आजीवन कारावास की सजा को घटाकर सात साल के लिए आर**.** आई**.** कर दिया गया है, जो आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **304-**बी के तहत किसी अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा है। **[**पैरा **19,20] [314-**एफ**-**जी, एच**; 315-**ए**-**डी**]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

बचनी देवी और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य **(2011) 4**

क.

एससीसी 427:[2011] 2 एससीआर 627; कुलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2013) 4 एससीसी 177: [2013] 5

एससीआर **604;** सुरिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य **(2014) 4**

एससीसी 129:[2013] 14 एस. सी. आर. 825; रमिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 12 एस. सी. सी. 582; कंस राज बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2000) 5 एस. सी. सी. 207:[2000] 3 एससीआर

662; दिनेश बनाम हरियाणा राज्य **(2014) 12** एससीसी **532:[2014] 7** एस**.** सी**.** आर**. 321;** शेर सिंह **@**प्रताप बनाम राज्य

हरियाणा (2015) 3 एस. सी. सी. 724:[2015] 1 एससीआर 29;

गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2021) 6** एस**.** सी**.** सी**. 108;** सतबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य **(2021) 6**

ग

एस**.** सी**.** सी**. 1-**निर्भर।

के. प्रेमा एस. राव और एक अन्य बनाम यादला श्रीनिवास राव

और अन्य (2003) 1 एससीसी 217:[2002] 3 पूरक।एससीआर

339; सरो राणा और अन्य बनाम झारखंड राज्य **2005 Crl.L.J. 65;** अप्पासाहेब और एक अन्य बनाम राज्य

डी.

महाराष्ट्र (2007) 9 एससीसी 721:[2007] 1 एससीआर 164;

विपिन जैसवाल [ए-1] बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व लोक अभियोजक (2013) 3 एस. सी. सी. 684:

[2013] 3 एस**.** सी**.** आर**. 449-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

ई.

[2002] 3 पूरक।एससीआर **339**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

[2007] 1 एससीआर **164**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

[2013] 3 एससीआर **449**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[2011] 2 एससीआर **627**

पर भरोसा किया

पैरा **12**

च

[2013] 5 एससीआर **604**

पर भरोसा किया

पैरा **12**

[2013] 14 एससीआर **825**

पर भरोसा किया

पैरा **12**

(2014) 12 एस**.** सी**.** सी**. 582**

पर भरोसा किया

पैरा **12**

[2000] 3 एससीआर **662**

पर भरोसा किया

पैरा **16**

जी.

[2014] 7 एससीआर **321**

पर भरोसा किया

पैरा **16**

[2015] 1 एससीआर **29**

पर भरोसा किया

पैरा **16**

(2021) 6 एससीसी **108**

पर भरोसा किया

पैरा **17**

(2021) 6 एससीसी **1**

पर भरोसा किया

पैरा **17** ए

एच.

301

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र और ए. एन. आर.

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2012 की आपराधिक अपील संख्या 190।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 10.09.2008 से, 2004 की आपराधिक अपील No.48 में ग्वालियर की पीठ।

भरत सिंह, ए. ए. जी., प्रशांत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, पशुपति नाथ राजदान, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अनीश कुमार गुप्ता, वैभव वर्मा, वेणुगोपाल अभय, सुश्री रीता गुप्ता, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ग

हिमा कोहली, जे.

1. वर्तमान अपील मध्य प्रदेश राज्य द्वारा की गई है, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 10 सितंबर, 2008 को पारित निर्णय से व्यथित है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा मूल अभियुक्त संख्या 1, जोगेंद्र-मृतक की पति, गीता बाई [प्रतिवादी संख्या 1 यहाँ] और मूल अभियुक्त संख्या 2, बद्री प्रसाद-मृतक के ससुर [प्रतिवादी संख्या 2 यहाँ] को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी और 306 के तहत खारिज कर दिया गया है, जबकि मूल अभियुक्त संख्या 1 पर लगाए गए दोषसिद्धि के आदेश को बनाए रखते हुए 17 दिसंबर, 2003 को दोषसिद्धि और सजा का निर्णय दिया गया है। 1-जोगेंद्र ने आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत सजा को तीन साल से घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया, लेकिन आरोपी नंबर 2, बद्री प्रसाद पर आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया। 2.प्रासंगिक तथ्यों पर एक त्वरित नज़र डालने की आवश्यकता है।मृतक 18 वर्ष की थी जब उसने 7 मई, 1998 को आयोजित एक सामाजिक विवाह संगठन समारोह 2 में प्रतिवादी संख्या 1 [ए 1] से शादी की।अपनी शादी से पहले, गीता बाई अपनी माँ, कमला बाई और अपने भाई के साथ अपने मामा, बंसी लाल [पीडब्लू-1] के साथ रहती थीं।अपनी शादी के चार साल से भी कम समय में, गीता बाई ने अपने वैवाहिक घर में मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली और खुद को आग लगा ली।उन्हें 20 अप्रैल, 2002 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़ौदा में जली हुई हालत में भर्ती कराया गया था और उसी दिन उन्होंने अंतिम सांस ली।

डी.

ई.

च

जी.

1 संक्षेप में 'आई. पी. सी.'

2 समुहिक विवाह सम्मेलन

एच.

302

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

क.

एक दिन।उस समय वह पाँच महीने की गर्भवती थी।उपस्थित चिकित्सक से जानकारी प्राप्त करने पर, 23 अप्रैल, 2002 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी [प्रदर्शनी पी-13]।जाँच पूरी होने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया और मामला सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया।

3. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करने के बाद, निचली अदालत ने मृतक की सास सुशीला [ए-3] और जीजा जितेंद्र [ए-4] को बरी कर दिया, लेकिन दोनों प्रतिवादियों [ए-1 और ए-2] [मृतक के पति और ससुर] को आई. पी. सी. की धारा 304-बी, 306 और 498-ए के तहत दोषी ठहराया और पहले अपराध के लिए आजीवन कारावास, आर. आई. को सात साल की अवधि के लिए जुर्माने के साथ और आर. आई. को तीसरे अपराध के लिए जुर्माने के साथ तीन साल की सजा सुनाई।प्रत्यर्थियों को दोषसिद्धि और सजा मुख्य रूप से मृतक के मामा बंसी लाल [पीडब्लू-1], श्याम बिहारी [<आईडी1] और अमृत लाल [<आईडी2] के साक्ष्य पर आधारित थी, जिन्होंने कहा था कि प्रत्यर्थियों ने मृतक से एक घर बनाने के लिए पैसे की मांग की थी जिसे उसके परिवार के सदस्य देने में असमर्थ थे।नतीजतन, उसे लगातार परेशान किया गया और क्रूरता का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली।डॉ. वी. के. गर्ग [P.W.-8], जिन्होंने पोस्टमॉर्टम परीक्षा आयोजित की थी [Ex. मृतक के शव पर पी-7] ने बयान दिया था कि गर्भाशय की जांच करने पर, मृत अवस्था में पांच महीने का भ्रूण था और उनकी राय में, गीता बाई की मृत्यु जलने के कारण हुई थी।4. सत्र न्यायालय द्वारा पारित 17 दिसंबर, 2003 के दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने वाले प्रत्यर्थियों पर, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 [ए-1] के संबंध में आई. पी. सी. की धारा 304 बी और 376 के तहत दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 [ए-2] को क्लीन चिट दे दी। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा

498-ए के तहत कायम रखा गया था, लेकिन उस पर लगाए गए तीन साल के लिए आर. आई. की सजा को कम कर दिया गया था जिससे वह पहले से गुजर चुका था।इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उच्च न्यायालय को के. प्रेमा एस. राव के फैसलों द्वारा राजी किया गया और

ग

डी.

ई.

च

एक अन्य बनाम यादला श्रीनिवास राव और अन्य **4,** सरो राणा और अन्य बनाम झारखंड राज्य **5** और अप्पासाहेब और एक अन्य बनाम झारखंड राज्य

जी.

महाराष्ट्र **6** और माना कि एक के निर्माण के लिए धन की मांग

3 संक्षेप में 'आर. आई.'

4 (2003) 1 एससीसी 217

5 2005 Crl.L.J. 65 झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिया गया 6 (2007) 9 एससीसी 721 ए

एच.

303

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र और ए. एन. आर. [हिमा कोहली, जे.] ए.

घर को दहेज की मांग नहीं माना जा सकता है।उच्च न्यायालय ने ए-1 और ए-2 के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई इस दलील से सहमति व्यक्त की कि धारा 304-बी के तहत उनके खिलाफ अपराध स्थापित नहीं किया गया था क्योंकि कथित रूप से मृतक पर की गई मांग घर बनाने के लिए पैसे की थी, जिसे उसकी मृत्यु को उक्त कारण से जोड़ने के लिए दहेज की मांग के रूप में नहीं माना जा सकता है।प्रतिवादियों को आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध के लिए भी बरी कर दिया गया था क्योंकि उच्च न्यायालय की राय थी कि पी. डब्ल्यू.-1, P.W.-2, P.W.-4 और P.W.-6 के बयानों की जांच से इस निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं था कि प्रतिवादियों ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था।जहाँ तक मृतक के प्रति क्रूरता से संबंधित धारा 498-ए के तहत अपराध का संबंध है, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को बरी कर दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में दोषसिद्धि आदेश को बनाए रखा।उक्त निर्णय से व्यथित, वर्तमान अपील मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर की गई है।

ग

5. अपीलार्थी-राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह ने विवादित फैसले पर हमला किया है और तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय उन उत्तरदाताओं के हाथों मृतक को हुए उत्पीड़न की सराहना करने में विफल रहा है जो लगातार उससे घर बनाने और जमीन खरीदने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे; कि उच्च न्यायालय ने बंसी लाल [<ID1], श्याम बिहारी [<ID2], अमृत लाल [<ID4] और राजेश भाई [<ID3] की गवाही पर विचार नहीं किया, जिन्होंने सर्वसम्मति से कहा था कि जब भी मृतक अपने माता-पिता के घर जाता था, तो वह शिकायत करती थी कि उत्तरदाताओं द्वारा 50,000/- [पचास हजार रुपये] की राशि लाने के लिए उस पर हमला किया जा रहा था।विद्वान वकील ने तर्क दिया कि घर के निर्माण के लिए धन का योगदान, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा मृतक से की गई मांग को दहेज की मांग के रूप में माना जाना चाहिए और यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा

मामला है जहां धारा 304-बी के तहत अपराध किया गया था।यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह आत्महत्या करने के लिए उकसाने का एक स्पष्ट मामला था और दोनों प्रतिवादियों को निचली अदालत द्वारा उक्त अपराध के लिए सही ही दोषी ठहराया गया था, जिसे अपील में गलती से पलट दिया गया है।

डी.

ई.

₹

च

जी.

6. वर्तमान अपील पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, मृतक के चाचा बंसी लाल [पीडब्लू-1] के बयान के नीचे उद्धरण देना उचित माना जाता है, जिन्हें नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा एक विश्वसनीय गवाह पाया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एच.

304

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

“2. गीताबाई जब भी आती थीं तो कहती थीं कि उन्हें पीटा जाता है।उसने ससुर और पति द्वारा पिटाई के बारे में बताया था।वे घर बनाने के लिए पचास हजार रुपये की मांग करते थे।इसलिए वे उसे पीटते थे।चूंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने नहीं दिया।मैंने और समाज के लोगों ने भी दामाद और ससुर को मना लिया था, लेकिन वे सहमत नहीं हुए।गीताबाई ने मेरी बहन और पत्नी के साथ पचास हजार रुपये की मांग के बारे में भी चर्चा की थी।

3. हमें रात 11 बजे फोन पर गीताबाई की मृत्यु की सूचना मिली थी।हमने पचास हजार रुपये नहीं दिए जिसके बाद गीताबाई को पीटा गया जिसके परिणामस्वरूप उनकी उंगली भी टूट गई।उसके पति ने पिटाई की है।बद्रीप्रसाद ने गीताबाई और जोगेंद्र को भी घर से निकाल दिया था।घर से बेदखल होने के बाद गीताबाई और जोगेंद्र खानपुर में बद्रीप्रसाद के पिता के पास रहते थे।फिर वे दोनों वहाँ से कोटा आए थे।वे 7-8 महीने से कोटा में रह रहे थे।कोटा में पैसा खर्च करने के बाद, वे दोनों तकरबादा में मेरी बहन कमलाबाई के पास पहुंचे।वे दोनों 1-2 दिनों तक तकरबादा में रहे थे।जोगेंद्र ने तकरबादा में मेरी बहन से बीस हजार रुपये की मांग की।मेरी बहन ने मुझे इसके बारे में बताया था।कोटा में एक भूखंड खरीदने के लिए बीस हजार रुपये की मांग की गई थी।गीताबाई और जोगेंद्र दोनों तकरबादा से सुल्तानपुर में मेरे पास पहुँचे।जोगेंद्र ने भी मुझसे बीस हजार रुपये की मांग की।घर के निर्माण के लिए भूखंड खरीदने के लिए रुपये की मांग की गई थी।दहेज मांगने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाता था।मैंने रुपये नहीं दिए थे।फिर पैसे न देने के कारण, मेरी भतीजी गीताबाई को धमकी देते हुए, वह उसे कोटा ले गया था।

ग

डी.

ई.

च

4. मैंने उस समय गीताबाई को देखा था।फिर वह गर्भवती हो गई।इसके बाद बद्रीप्रसाद, जितेंद्र और सुशीला कोटा में जोगेंद्र और गीताबाई के पास गए और जबरन अपना सामान रखा, वे सामान लाए और वे गीताबाई और जोगेंद्र को भी अपने घर ले आए।कोटा से तीन महीने ले जाने के बाद, मुझे गीताबाई के निधन की खबर मिली।"

जी.

7. उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान P.W.-1 द्वारा दिए गए कुछ प्रासंगिक बयान भी नीचे दिए गए हैं:

“13. इसके लगभग 6 महीने बाद, गीताबाई फिर से ससुराल आई थी और वह 6-7 महीने तक रही थी और जब हम उसे लेने जाते थे तो गीताबाई के ससुराल वाले उसे नहीं भेजते थे।

एच.

305

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र और ए. एन. आर. [हिमा कोहली, जे.] ए.

क.

गवाह ने खुद कहा कि इस दौरान उनके उत्पीड़न की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।मेरा छोटा भाई इस दौरान उसे 6-7 बार ले जाने गया था।मैं कोटा में रहता था।इसके बाद जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी तो गीताबाई आई थीं और वे भी एक और कार्यक्रम के लिए आई थीं।जब गीताबाई 6 महीने बाद ससुराल गई थीं तो उसके बाद मैं अपनी मां की मृत्यु के समय उनसे मिली थी।जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी तब गीताबाई आई थीं तब वे 6 महीने तक मेरे भाई के साथ रही थीं।जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी तो जोगेंद्र तीसरे दिन गीताबाई के साथ आया था और उसने भी हमारे सामने पिटाई की थी।उसे चाय नहीं मिली थी इसलिए जोगेंद्र ने उसे पीटा था।जब गीताबाई 6 महीने तक भाइयों के साथ रहीं तो उस दौरान मैं कई बार वहाँ गई थी।मेरी माँ की मृत्यु के समय आरोपी और सुशीलबाई और बद्री भी वहाँ आए थे।मैं गाँव में 12 दिन रहा था।यह कहना गलत है कि जब गीताबाई माँ की मृत्यु के समय टकरवाड़ा में रही थीं तो उन्होंने वहाँ ससुराल वालों से कोई शिकायत नहीं की थी।यह तथ्य सही है कि सबसे पहले गीताबाई ने माँ की मृत्यु के समय शिकायत की थी।जोगेंद्र हमारे गाँव में 2 दिन रहे थे।XXX XXX XXX

ग

डी.

18. जब बद्रीप्रसाद माँ की मृत्यु के समय आए थे।उसके बाद आज तक मैं बद्रीप्रसाद से नहीं मिला।बद्रीप्रसाद घर के निर्माण के लिए पचास हजार रुपये की मांग करते हैं।गीताबाई ने मुझे यह तथ्य बताया था जब गीताबाई माँ की मृत्यु के बाद आई थीं तो उन्होंने यह तथ्य बताया था कि बद्रीप्रसाद घर बनाने के लिए पचास हजार रुपये की मांग करते हैं।यह बात बहन कमलाबाई ने मुझे बताई थी।उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने पचास हजार रुपये की मांग का तथ्य नहीं बताया।माँ की मृत्यु के 7-8 महीने बाद कमलाबाई ने मुझे पचास हजार रुपये का तथ्य बताया था।कमलाबाई ने जो तथ्य मुझे बताया था, उसके 4-5 महीने बाद गीताबाई और जोगेंद्र बीस हजार रुपये की मांग करने के लिए मेरे पास आए थे।"

ई.

च

8. यह स्पष्ट है कि अपनी व्यापक जिरह के दौरान, P.W.-1 अपने बयानों पर दृढ़ता से कायम रहा कि उसकी भतीजी, गीता बाई का उत्पीड़न उसकी शादी के छह महीने के भीतर प्रतिवादी नंबर 1 के साथ शुरू हो गया था, जिसने उसे अपनी माँ से 20,000/- [बीस हजार रुपये] और घर के निर्माण के लिए <ID1] की राशि लेने के लिए कहा था।उक्त मांग प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सीधे P.W.-1 पर भी की गई थी।P.W.-1 ने कहा कि मृतक ने उसे यह भी सूचित किया था कि उसके पिता -

जी.

₹

एच.

306

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सास, प्रतिवादी संख्या 2 ने एक घर के निर्माण के लिए उस पर 50,000/- [पचास हजार रुपये] की मांग की थी, जिसे उसे बताने के लिए कहा गया था।उक्त गवाह अपने बयान में एकमत था कि वह अपनी मृत भतीजी और उसके पति-प्रतिवादी संख्या 1 को खर्च के लिए पैसे देता था और उन दोनों ने एक घर के निर्माण के लिए 50,000/- [पचास हजार रुपये] की राशि की मांग की थी, जिसे उसने देने से इनकार कर दिया था।उल्लेखनीय है कि श्याम बिहारी [P.W.-2] और अमृत लाल [P.W.-4], दोनों मृतक के मामा, का वर्णन करने के लिए एक ही संस्करण था P.W.-1।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष का कथन था कि प्रतिवादी मृतक को परेशान करते थे और प्रतिवादी संख्या 1 ने 20,000/- [बीस हजार रुपये] की राशि की मांग की थी, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ने मृतक से घर बनाने और भूमि का भूखंड खरीदने के लिए 50,000/- [पचास हजार रुपये] की मांग की थी।उत्तरदाताओं द्वारा उन पर की गई लगातार दहेज की मांगों से तंग आकर, जिसे उनका परिवार पूरा नहीं कर सका, गीता बाई ने अपनी शादी के सात साल के भीतर अपने वैवाहिक घर में आत्मदाह कर लिया था।9. आई. पी. सी. की धारा 304-बी के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए सबसे बुनियादी घटक यह है कि महिला की मृत्यु दहेज मृत्यु होनी चाहिए।इस न्यायालय के कई फैसलों में धारा 304-बी के तहत अपराध बनाने के लिए सामग्री को दोहराया गया है।धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए चार पूर्व-आवश्यकताएं इस प्रकार हैंः

₹

ग

डी.

ई.

((i) कि किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई होगी या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हुई होगी;

((ख) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात साल की अवधि के भीतर हुई होगी।

च

((ग) महिला को उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति के हाथों क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा; और

((iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की किसी भी मांग के लिए या उससे संबंधित होना चाहिए।

जी.

10. जैसा कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में "दहेज" शब्द को परिभाषित किया गया है, उक्त प्रावधान का महत्व बढ़ जाता है और इसे नीचे निकाला गया हैः

7 संक्षेप में 'दहेज अधिनियम' ए

एच.

307

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र और ए. एन. आर. [हिमा कोहली, जे.] ए.

“2. 'दहेज' की परिभाषा-इस अधिनियम में, 'दहेज' का अर्थ है कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है या दी जाने के लिए सहमत होती है -

((क) विवाह के लिए एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ विवाह; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के लिए किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा, विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को; उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय, लेकिन उन व्यक्तियों के मामले में दहेज या महर शामिल नहीं है जिन पर मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) लागू होता है।

ग

व्याख्या I.-XXX XXX XXX 8

स्पष्टीकरण 2-"मूल्यवान प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 30 में है।"

डी.

11. राजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य **9** के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में**,** दहेज अधिनियम की धारा **2** को उक्त प्रावधान की बेहतर समझ के लिए छह अलग**-**अलग भागों में विभाजित किया गया है**,** जो इस प्रकार हैं**:**

"8. धारा **2** के अवलोकन से पता चलता है कि इस परिभाषा को छह अलग**-**अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है**:**

ई.

(1) दहेज में पहले कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति होनी चाहिए**-"**कोई भी**"** शब्द एक विस्तृत शब्द है और इसलिए**,** इसमें संपत्ति और किसी भी प्रकार की मूल्यवान प्रतिभूति शामिल होगी।

च

(2) ऐसी संपत्ति या प्रतिभूति दी जा सकती है या देने के लिए सहमति भी दी जा सकती है।इसलिए, ऐसी संपत्ति या प्रतिभूति का वास्तविक दान आवश्यक नहीं है।

(3) ऐसी संपत्ति या प्रतिभूति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जा सकती है या दी जा सकती है।

जी.

(4) इस तरह का देना या फिर से देने के लिए सहमत होना न केवल एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ विवाह के लिए हो सकता है, बल्कि माता-पिता द्वारा भी हो सकता है।

8 1984 के अधिनियम 63 द्वारा लोप किया गया (से। 2.10.1985) 9 (2015) 6 SCC 477

एच.

विवाह के किसी भी पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के लिए।यह ध्यान दिया जाएगा कि यह खंड फिर से अधिनियम की पहुंच को व्यापक बनाता है जहां तक दहेज देने या प्राप्त करने के अपराध को करने के दोषियों का संबंध है।

(5) ऐसा देना या देने के लिए सहमत होना किसी भी समय हो सकता है।यह शादी के समय, पहले या बाद में किसी भी समय हो सकता है।इस प्रकार, विवाह संपन्न होने के बाद कई साल लग सकते हैं।

(6) इस तरह का देना या प्राप्त करना पक्षों के विवाह के संबंध में होना चाहिए।जाहिर है, दहेज निषेध अधिनियम द्वारा जिस सामाजिक बुराई से निपटने की मांग की गई है, उसके संदर्भ में "के संबंध में" अभिव्यक्ति का अर्थ "के संबंध में" या "से संबंधित" होगा।"

ग

12. उपरोक्त प्रावधान के आलोक में जो "दहेज" शब्द को परिभाषित करता है और किसी भी प्रकार की संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को अपने दायरे में लेता है, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए गलती की कि घर के निर्माण के लिए धन की मांग को दहेज की मांग के रूप में नहीं माना जा सकता है।विवादित फैसले में संदर्भित अप्पासाहेब के मामले (ऊपर) में, इस अदालत ने कहा था कि मृतक महिला के माता-पिता से खाद खरीदने के लिए पैसे की मांग "दहेज" के दायरे में नहीं आएगी, जिससे दहेज की परिभाषा की सख्ती से व्याख्या की जाएगी।हालाँकि, राजिंदर सिंह के मामले [ऊपर] में इस विचार को स्वीकार नहीं किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि उक्त निर्णय और मामले में भी निर्णय लिया गया है।

डी.

ई.

विपिन जैसवाल [ए-1] बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

लोक अभियोजक **10,** कानून को सही ढंग से न कहें।यह देखते हुए कि उपरोक्त निर्णय इस न्यायालय के चार अन्य निर्णयों से अलग थे**,**

अर्थात्।**,** बचनी देवी और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य **11,** कुलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य **12,** सुरिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य **13,** और रमिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य **14,** अदालत ने राय दी कि

च

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दहेज की मांग की सामाजिक बुराई का मुकाबला करने के लिए आई. पी. सी. में धारा 304-बी डाली गई थी, जो खतरनाक अनुपात तक पहुंच गई है, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि प्रावधान में उपयोग की गई भाषा में अस्पष्टता के मामले में, इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि यह राशि होगी।

जी.

10 (2013) 3 एससीसी 684 11 (2011) 4 एससीसी 427 12 (2013) 4 एससीसी 177 13 (2014) 4 एससीसी 129 14 (2014) 12 एससीसी 582 ए

एच.

309

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र और ए. एन. आर. [हिमा कोहली, जे.] ए.

प्रावधान के उद्देश्य को विफल करने के लिए।दूसरे शब्दों में, न्यायालय "दहेज" अभिव्यक्ति का एक विस्तृत अर्थ निर्धारित करने के पक्ष में झुक गया और इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“20. यह देखते हुए कि जिस कानून के साथ हम काम कर रहे हैं, उसे एक निष्पक्ष, व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान की व्याख्या दी जानी चाहिए ताकि संसद द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को पूरा किया जा सके, हम महसूस करते हैं कि अप्पासाहेब मामले में निर्णय [अप्पासाहेब बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007) 9 एससीसी 721 (2007) 9 एससीसी 721:(2007) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 468] के बाद विपिन जैसवाल [विपिन जैसवाल बनाम ए. पी. राज्य, (2013) 3 एस. सी. सी. 684:(2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 15] कानून को सही ढंग से नहीं बताता है।इसलिए हम घोषणा करते हैं कि

ग

दहेज निषेध अधिनियम की धारा **2** में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी द्वारा विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय मांगी गई कोई राशि या संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति**,** जो किसी विवाहित महिला की मृत्यु से यथोचित रूप से जुड़ी हुई है**,** अनिवार्य रूप से विवाह के संबंध में या उसके संबंध में होगी**,** जब तक कि किसी दिए गए मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अन्यथा इंगित नहीं करते हैं।**"**

डी.

[जोर दिया गया]

13. लैटिन उक्ति "यू. टी. रेस मेजिस वालेट क्वाम पेरेत"अर्थात, ए

उदार निर्माण को लिखित उपकरणों पर रखा जाना चाहिए, ताकि यदि संभव हो तो उन्हें बनाए रखा जा सके और पक्षों के इरादे को लागू किया जा सके।विधायिका के इरादे को विफल करने वाले कानून के प्रावधान की व्याख्या को एक ऐसी व्याख्या के पक्ष में छोड़ दिया जाना चाहिए जो दहेज की मांग जैसी सामाजिक बुराई को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से कानून के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को बढ़ावा देगी।इस संदर्भ में "दहेज" शब्द को एक विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि एक महिला पर की गई किसी भी मांग को शामिल किया जा सके, चाहे वह संपत्ति के संबंध में हो या किसी भी प्रकृति की मूल्यवान प्रतिभूति के संबंध में।आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत मामलों से निपटने के दौरान, समाज में एक निवारक के रूप में कार्य करने और दहेज की मांगों के जघन्य अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रावधान बनाया गया है, अदालतों के दृष्टिकोण में बदलाव सख्त से उदार, संकुचित से व्यापक होना चाहिए।कोई भी कठोर अर्थ प्रावधान के वास्तविक उद्देश्य को निष्फल कर देगा। इसलिए, हमारे समाज में गहराई से स्थापित इस बुराई को खत्म करने के कार्य को पूरा करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

ई.

च

जी.

14. तत्काल मामले के तथ्यों में, हमारी राय है कि निचली अदालत ने धन की मांग की सही व्याख्या की है

एच.

"दहेज" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले घर के निर्माण के लिए मृतक पर उत्तरदाता।प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति कि मृतक भी ऐसी मांग में एक पक्ष था क्योंकि उसने खुद अपनी माँ और मामा को घर के निर्माण में योगदान करने के लिए कहा था, को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए।यह नहीं देखा जा सकता है कि प्रतिवादी लगातार मृतक को परेशान कर रहे थे और उसे घर बनाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से पैसे के लिए संपर्क करने के लिए कह रहे थे और यह केवल उनकी दृढ़ता और आग्रह पर था कि वह उनसे घर बनाने के लिए कुछ राशि का योगदान करने के लिए कहने के लिए मजबूर थी।न्यायालय को उस सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जिससे पक्षकार आते हैं।यह तथ्य कि मृतक और प्रतिवादी नंबर 1 की शादी एक सामुदायिक विवाह संगठन में आयोजित की गई थी, जहां कुछ जोड़े शादी के बंधन में बंधे होंगे, यह दर्शाता है कि पार्टियों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी।यह स्थिति P.W.-1 के बयान से भी सामने आती है, जिसने कहा था कि वह दंपति का खर्च वहन करता था।मृतक की शादी से पहले भी, P.W.-1 ने कहा था कि वह उसका और उसकी माँ और भाई [उसकी बहन और भतीजे] का खर्च वहन करता था क्योंकि उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था।इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि चूंकि मृतक स्वयं अपने पति और ससुर के साथ शामिल हुआ था, इसलिए यहां उत्तरदाताओं ने अपनी मां या चाचा से घर बनाने के लिए धन का योगदान करने के लिए कहा था, इसलिए ऐसी मांग को "दहेज की मांग" के रूप में नहीं माना जा सकता है।इसके विपरीत, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य से पता चलता है कि

मृतक पर उसकी माँ और चाचा से पैसे के लिए ऐसा अनुरोध करने का दबाव डाला गया था।यह मिलीभुगत का मामला नहीं था, बल्कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मृतक द्वारा सामना की गई सरासर असहायता का मामला था।

ग

डी.

ई.

15. अब, राज्य के विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए दूसरे बिंदु पर आते हुए कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि गीता बाई को उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले उत्तरदाताओं के हाथों क्रूरता/उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, जिसका प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा सख्ती से विरोध किया जाता है, हम ध्यान दे सकते हैं कि "उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले" अभिव्यक्ति के अर्थ पर कई निर्णयों में गहन चर्चा की गई है।सुरिंदर सिंह (ऊपर) में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872-15 की धारा 113-बी और आई. पी. सी. की धारा 304-बी के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, जहां "उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले" शब्दों का उल्लेख मिलता है, निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की गई हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

जी.

15 संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम' ए

एच.

311

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र और ए. एन. आर. [हिमा कोहली, जे.] ए.

“17. इस प्रकार**,** "जल्द ही पहले" शब्द साक्ष्य अधिनियम**, 1872** की धारा **113-**बी और आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **304-**बी में भी दिखाई देते हैं। इन धाराओं के तहत विचार किए गए अनुमानों को अमल में लाने के लिए**,** यह दिखाना आवश्यक है कि क्रूरता या उत्पीड़न मृत्यु से तुरंत पहले किया गया था।इसलिए **"**जल्द ही पहले**"** शब्दों की व्याख्या महत्वपूर्ण है।सवाल यह है कि **"**जल्द ही**"** कैसे**?**यह स्पष्ट रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

क्रूरता या उत्पीड़न मामले-दर-मामले अलग-अलग होता है।यह लोगों की मानसिकता से संबंधित है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है।क्रूरता मानसिक या शारीरिक हो सकती है।मानसिक क्रूरता के भी अलग-अलग रंग होते हैं।यह मौखिक या भावनात्मक हो सकता है जैसे किसी महिला का अपमान या उपहास या अपमान करना।यह उसके करीबी और प्रियजनों को चोट पहुँचाने की धमकी दे सकता है।यह उसे आर्थिक संसाधनों या जीवन की आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर सकता है।यह उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है।यह उसे बाहरी दुनिया से बात करने की अनुमति नहीं दे सकता है।सूची उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है।शारीरिक क्रूरता वास्तविक पिटाई या महिला के व्यक्ति को दर्द और नुकसान पहुँचा सकती है।क्रूरता और संबंधित उत्पीड़न की ऐसी हर घटना का एक महिला के दिमाग पर अलग प्रभाव पड़ता है।कुछ मामले इतने गंभीर हो सकते हैं कि एक महिला पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ सकता है।उनकी गरिमा को कम करने वाले कुछ उदाहरण उनकी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित रह सकते हैं।

ग

डी.

लंबे समय तक।इसलिए, "जल्द ही पहले" एक सापेक्ष शब्द है।भावनाओं के मामलों में हमारे पास निश्चित सूत्र नहीं हो सकते हैं।समय-अंतराल मामले-दर-मामले भिन्न हो सकता है।दहेज मृत्यु के प्रत्येक मामले की जांच करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ई.

18. इस संबंध में हम कांस राज बनाम पंजाब राज्य [(2000) 5 एस. सी. सी. 207 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैंः2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 935] जहाँ इस न्यायालय ने "जल्द ही पहले" शब्द पर विचार किया। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैंः(एस. सी. सी. पी. 222-23, पैरा 15)

च

"15. ... ' इसके तुरंत पहले 'एक सापेक्ष शब्द है जिस पर प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में विचार करने की आवश्यकता होती है और किसी भी समय-सीमा को तय करके कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है।यह अभिव्यक्ति निकटता परीक्षण के विचार से गर्भवती है।'जल्द ही पहले' शब्द 'तुरंत पहले' शब्द का पर्याय नहीं है और 'जल्द ही बाद' अभिव्यक्ति के विपरीत है जैसा कि इसमें उपयोग और समझा जाता है।

जी.

एच.

साक्ष्य अधिनियम की धारा **114,** चित्रण **(**क**)**। ये

शब्दों का मतलब होगा कि बयान देने के समय और मृत्यु के बीच का अंतराल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए।यह उस उचित समय पर विचार करता है जिसे, जैसा कि पहले देखा गया है, विशिष्ट के तहत समझा और निर्धारित किया जाना है।

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ।दहेज मृत्यु के संबंध में, मृतक के प्रति क्रूरता या उत्पीड़न के अस्तित्व को दर्शाने वाली परिस्थितियाँ किसी विशेष उदाहरण तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आम तौर पर आचरण के पाठ्यक्रम को संदर्भित करती हैं। इस तरह का आचरण कुछ समय के लिए फैल सकता है।यदि क्रूरता या उत्पीड़न या दहेज की मांग बनी हुई दिखाई देती है, तो इसे 'मृत्यु से तुरंत पहले' माना जाएगा यदि इस तरह के कथित उपचार और मृत्यु की तारीख से पहले, इस तरह के व्यवहार के अस्तित्व को दर्शाने वाली कोई अन्य मध्यवर्ती परिस्थिति रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती है।ऐसा नहीं है,

ग

हालांकि, इसका मतलब है कि इस तरह के समय को किसी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और परिणामी मृत्यु के बीच निकट और जीवित संबंध अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने की आवश्यकता है।ऐसी मांग और मृत्यु की तारीख के आधार पर दहेज, क्रूरता या उत्पीड़न की मांग उस समय में बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, जिसे परिस्थितियों में काफी बासी माना जाए।"

डी.

ई.

इस प्रकार, ऐसी मांग और मृत्यु की तारीख के आधार पर दहेज, क्रूरता या उत्पीड़न की मांग के बीच एक संबंध होना चाहिए। निकटता का परीक्षण लागू करना होगा।लेकिन, यह एक कठोर परीक्षा नहीं है।यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और कानून की सीमा के भीतर अदालत के व्यावहारिक और संवेदनशील दृष्टिकोण की मांग करता है।

च

[जोर दिया गया]

16. राजिंदर सिंह में **[**ऊपर**],** कंस में फैसलों पर वापस गिरना

राज बनाम पंजाब राज्य और अन्य **16,** दिनेश बनाम हरियाणा राज्य **17** और शेर सिंह **@**प्रताप बनाम हरियाणा राज्य **18**

जी.

इस बात पर जोर दिया कि "जल्द ही पहले" "तुरंत पहले" का पर्याय नहीं है और निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

16 (2000) 5 एससीसी 207 17 (2014) 12 एससीसी 532 18 (2015) 3 एससीसी 724 ए

एच.

313

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र और ए. एन. आर. [हिमा कोहली, जे.] ए.

“24. हम इन दोनों फैसलों द्वारा कही गई बातों का समर्थन करते हैं।दिन या महीने वे नहीं हैं जो देखने योग्य हैं।यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि **"**जल्द**"** शब्द का अर्थ यह नहीं है कि

“तत्काल "।धारा 304-बी के अधिनियमन के कारण हुई महान सामाजिक बुराई को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष और व्यावहारिक निर्माण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह अभिव्यक्ति एक सापेक्ष अभिव्यक्ति है।

समय**-**अंतराल मामले**-**दर**-**मामले भिन्न हो सकते हैं।केवल इतना आवश्यक है कि दहेज की मांग बासी नहीं होनी चाहिए**,** बल्कि धारा **304-**बी के तहत विवाहित महिला की मृत्यु का निरंतर कारण होनी चाहिए।

[जोर दिया गया]

ग

17. उपरोक्त संदर्भ में**,** हम उपयोगी रूप से गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य **19** मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के हाल के एक फैसले का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें विस्तृत दिशानिर्देशों को दोहराया गया है जो निर्धारित किए गए हैं।

सतबीर सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य **20** में नीचे**,** दोनों ने लिखा

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना द्वारा आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत मुकदमे के संबंध में जहां आई. पी. सी. की धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी पर कानून को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हैः

डी.

“ 38.1.आई. पी. सी. की धारा 304-बी की व्याख्या दुल्हन को जलाने और दहेज की मांग की सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

ई.

38.2.अभियोजन पक्ष को सबसे पहले आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **304-**बी के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री के अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। एक बार जब ये तत्व संतुष्ट हो जाते हैं**,** तो साक्ष्य अधिनियम की धारा **113-**बी के तहत प्रदान की गई कार्य**-**कारण की खंडन योग्य धारणा अभियुक्त के खिलाफ काम करती है।

च

38.3.आई. पी. सी. की धारा 304-बी में "जल्द ही पहले" वाक्यांश का अर्थ "तुरंत पहले" नहीं माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष को दहेज हत्या और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न के बीच "निकट और जीवित संबंध" का अस्तित्व स्थापित करना चाहिए।

जी.

38.4.आई. पी. सी. की धारा 304-बी मृत्यु को हत्या या आत्महत्या या आकस्मिक के रूप में वर्गीकृत करने में कबूतर छेद दृष्टिकोण नहीं लेती है।इसका कारण।

19 (2021) 6 एससीसी 108 20 (2021) 6 एससीसी 1

एच.

314

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

इस तरह के गैर-वर्गीकरण के लिए इस तथ्य के कारण है कि मृत्यु हो रही है

“ अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में "कर सकते हैं, मामलों में,

वह हत्या या आत्महत्या या आकस्मिक हो।"

[जोर दिया गया]

18. तत्काल मामले में, यह विवाद में नहीं है कि मृतक और प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त के बीच शादी 7 मई, 1998 को हुई थी और मृतक को गंभीर रूप से जली हुई स्थिति में उसके वैवाहिक घर से 20 अप्रैल, 2002 को बड़ौदा के स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में लाया गया था और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई थी।यह भी विवाद में नहीं है कि मृतक की मौत मिट्टी का तेल फेंकने और खुद को आग लगाने के कारण हुई थी।अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक का पैसे के लिए उत्पीड़न उसकी शादी के कुछ महीनों के भीतर शुरू हो गया था और उसके बाद कई मौकों पर जारी रहा था।यह तथ्य पीडब्लू-1 के बयान से सामने आता है, जो दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 [ससुर] द्वारा की गई 50,000/- [पचास हजार रुपये] की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होने पर, उसने मृतक और प्रतिवादी संख्या 1 को वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया था।वे तब कोटा चले गए थे और वहाँ रहते थे।इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 दंपति को वापस बड़ौदा ले आया और फिर से मृतक से पैसे की मांग करने लगा।फिर मृतक और प्रतिवादी नंबर 1 तंजावड़ा चले गए।इस बार, यह प्रतिवादी नंबर 1 था जिसने घर बनाने के लिए मृतक और उसके चाचा से 20,000/- [बीस हजार रुपये] की राशि की मांग की थी।उस पर किए गए पैसे की बार-बार की गई मांगों से लगातार परेशान होने पर, जिसे उसका परिवार पूरा नहीं कर सका, असहाय मृतक, जो अपनी गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में थी, ने अपने वैवाहिक घर में खुद को आग लगा ली।

ग

₹

डी.

ई.

च

19. उपरोक्त स्पष्ट परिस्थितियों को जब एक साथ देखा जाए, तो शायद ही उत्तरदाताओं के अपराध को कम किया जा सकता है या मामले को आई. पी. सी. की धारा 304-बी के दायरे से बाहर किया जा सकता है, जब उक्त प्रावधान को लागू करने के

लिए सभी चार पूर्व-आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं, अर्थात्, गीता बाई की मृत्यु उनके विवाह के सात वर्षों के भीतर उनके वैवाहिक घर में हुई थी; कि उक्त मृत्यु जलने के कारण असामान्य परिस्थितियों में हुई थी और वह भी जब वह पांच महीने की गर्भवती थी; कि उन्हें उनकी मृत्यु से ठीक पहले उत्तरदाताओं द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और ऐसी क्रूरता/उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में था।हालांकि उच्च न्यायालय ने P.W.-1 [मृतक के मामा] की गवाही को भरोसेमंद और सुसंगत पाया

जी.

एच.

315

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र और ए. एन. आर. [हिमा कोहली, जे.]

और प्रतिवादी द्वारा अभियोजन पक्ष के संस्करण को ध्वस्त करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया जा सका, आश्चर्यजनक रूप से, आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत उनकी दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया है और इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 को आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया गया है।

20. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, विशेष रूप से आई. डी. 1 की गवाही को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि निचली अदालत का विश्लेषण सही था और प्रतिवादी आई. पी. सी. की धारा 304-बी और 498-ए के तहत दोषी ठहराए जाने के योग्य थे। हालाँकि, हम उच्च न्यायालय द्वारा वापस किए गए निष्कर्षों को बाधित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, जिसने आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए प्रतिवादियों को बरी कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष संतोषजनक रूप से यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई निर्णायक सबूत नहीं ला सका कि यह प्रतिवादियों की ओर से उकसाने के कारण था कि मृतक ने आत्मदाह करके आत्महत्या की थी।तदनुसार, आई. पी. सी. की धारा 304-बी और धारा 498-ए के तहत दोनों प्रतिवादियों के संबंध में निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को बहाल किया जाता है।हालाँकि, आर. आई. की निचली अदालत द्वारा उन पर आजीवन कारावास की सजा को घटाकर सात साल के लिए आर. आई. कर दिया गया है, जो आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत किसी अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा है। 21.पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।प्रतिवादी अपनी सजा की शेष अवधि से गुजरने के लिए चार सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे।उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

ग

डी.

ई.

देविका गुजराल

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

च

जी.

एच.